प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय (सीएजी) ने स्मारकों एवं पुरावशेषों के परिरक्षण एवं संरक्षण की निष्पादन लेखापरीक्षा की थी (2012-13) तथा निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से निहित प्रतिवेदन (2013 की सं.18) को अगस्त 2013 में संसद के पटल पर प्रस्तुत किया गया था। लोक लेखा समिति (पीएसी) द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी थी तथा लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर आधारित कई सिफारिशें इसके प्रतिवेदन सं. 39 (अप्रैल 2016) तथा 118 (दिसम्बर 2018) के द्वारा की गई।

मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सीएजी का यह प्रतिवेदन पिछले निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2013 की सं.8) का अनुवर्तन है। प्रतिवेदन में पीएसी द्वारा की गयी सिफारिशों तथा मंत्रालय/एएसआई द्वारा दिए गए आश्वासनों पर पूर्व सूचित विचारणीय क्षेत्रों पर संस्कृति मंत्रालय/एएसआई द्वारा की गई कार्रवाई की जांच के परिणाम निहित हैं। लेखापरीक्षा नवम्बर 2020 से मार्च 2021 तक की गयी। लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षिती इकाईयों में आने वाले संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण, राष्ट्रीय संस्कृति निधि, स्मारकों एवं पुरावशेषों का राष्ट्रीय मिशन तथा छः राष्ट्रीय स्तर के संग्रहालय शामिल हैं। सात राज्यों अर्थात् दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में स्मारकों, स्थलों तथा एएसआई के कार्यालयों अर्थात् सर्किल्स, शाखा कार्यालयों, पुरातत्व संस्थान, स्थल-संग्रहालय, स्मारक एवं उत्खनन स्थलों की जांच करने हेतु चयन किया गया।

प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है तथा लेखापरीक्षा, सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई।